न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 39/2024(GCMS 2024/158)

श्री कोमल सिंह पता वार्ड नं. 06, गगन ट्रंक हाउस, रिडमलसर, श्रीगंगानगर –335061

बनाम

प्रभारी अधिकारी वाचक शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

14.05.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी कोमल सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने प्रभारी अधिकारी, वाचक शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.05.2024 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री कोमल सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक

16.05.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जिसकी प्रार्थना पत्र की प्रति अपीलार्थी ने पेश नही की है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), प्रभारी अधिकारी वाचक शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक [illegible]/24/823 दिनांक 13.06.2024 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

क्र.सं.	वांछित सूचना	ज्वाब
1	रिक्योरिटाइजेशन एंड रिकस्ट्रंक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समैंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट–2002 (सरफेसी एक्ट 2002) के तहत आपके कार्यालय में व्यवसायिक बैंको/फइनेंस लि. कम्पनी के द्वारा 1 मार्च 2024 से लेकर आपके जवाब लिखे जाने तक कब्जे (Possession) के कितने आवेदन की संख्या एक साथ उनकी नाम–वार, पता सहित प्रमाणित (सूची) प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएं।	कुल प्रकरण दर्ज हुए है। आप द्वारा जिस रूप में सूचना चाही गई है, वह कार्यालय में अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(ञ) के अनुसार आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण, किसी भी कार्यालय दिवस मे कर सकते है। कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध वांछित सूचना, आपको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार उपलब्ध करवा दी जावेगी।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), एवं प्रभारी अधिकारी वाचक शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार समयावधि में जवाब दिया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यो को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी **विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) एवं प्रभारी अधिकारी (वाचक शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), एवं प्रभारी अधिकारी वाचक शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:12 IST
Reason: SelfAttested